

आदेश

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3036 दिनांक 12.09.2015 द्वारा दिनांक 17, 19, 27, 28 सितम्बर 2015 को पशुवध, गृह एवं मांस विक्रय पूर्णतः बंद रखने हेतु आदेश जारी किया गया था।

माननीय स.प्र.उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा डब्लू नॉ. 6101/2015 (आई.एल.) में पारित आदेश के भावन में उक्त आदेश में संशोधन किया जाता है कि नीचे लिखे दिनांक में पशुवध, पशुवध गृह, मांस विक्रय पूर्णतः बंद रहेगा।

1. दिनांक 23.09.2015 बुधवार पर्यन्त एवं
2. दिनांक 24.09.2015 गुरुवार डोल ग्वालियर एवं पर्यन्त एवं
3. दिनांक 27.09.2015 शनिवार पर्यन्त एवं / अज्ञात दिनांक
4. दिनांक 28.09.2015 सोमवार पर्यन्त एवं पर. स.प्र.उच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट

उक्त आदेश का उल्लंघन से भावन किया जाये। अतः उक्त दिनांक में पशुवध, पशुवध गृह एवं मांस विक्रय पूर्णतः बंद रखने के विरुद्ध कहीं वैधानिक कार्यवाही की जाये।

पृ.क्रमांक / न.पा.प. / 3136

प्रतिकोपी:-

1. कलेक्टर ग्वालियर जिला शिवपुरी की और सूचनाार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक ग्वालियर जिला शिवपुरी की और सूचनाार्थ।
3. सहायक संचालक सूचनाार्थ जिला शिवपुरी।
4. सततता सचवाई दसोगा प्रभार सचिव सचिवालय शिवपुरी की और सूचनाार्थ। कि उक्त दिनांक में पशुवध, पशुवध गृह एवं मांस विक्रय पूर्णतः बंद रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही कराये।
5. संबंधित सी.एस.डी.ओ. ग्वालियर जिला शिवपुरी की और सूचनाार्थ।